कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 13 अ–82 / 16–17 / 9189 बैतूल दिनांक 22 08–2017

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक–2 में वर्णित है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक–1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	0.061	सहायक महाप्रबंधक म0 प्र0 सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल ।	बैतूल–सारनी–टेकाढाना–परासिया मार्ग हेतु ।

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	196 / 2	0.437	0.041	खडकसिंग छप्पनसिंग मेहन्ती पिता मधुकर, गोंड सा0देह
2	197 / 1	0.808	0.020	शशि जौजे अनंत कुमार मेहतो सा0देह
योग			0.061	

1– चूंकि बैतूल–परासिया सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू–अर्जन अधिकारी) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

21/8

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 13 अ—82 / वर्ष 16—17 9189 बैतूल दिनांक 22-08— 2017

प्रतिलिपि:—

1— उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2— संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3— प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट **www betul.nic.in** पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

4— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

5— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6— तहसीलदार घोड़ाडोंगरी की ओर (तीन प्रतियों म) मे अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति मे पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू—अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

8— सहायक महाप्रबंधक, म0प्र0सडक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

9— सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत घोड़ाडोंगरी तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग